प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **19/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Narendra Singhvi Add: 66-K, Singhvi house, first floor, inside saheliyon ki bari, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बारापाल, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28/2/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329048287683398 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 4570682215 दिनांक 03.02.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/19/25/141–42 दिनांक 31.01.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार बारापाल द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बारापाल ने जरिये पत्रांकः 142 दिनांक 27.02.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि आवेदन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र क्रमांक 329293037627714, 329232539683971, 329336996037858 से एक ही पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील कार्यालय बारापाल से चाही गई थी। उक्त आवेदन के क्रम में प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 27.01.2025 के क्रम में प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 17.02.2025 को कुल 274 पेजों की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बारापाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 17.02.2025 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। फिर भी यदि अपीलार्थी को ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये है तो संबंधित पत्रावली का अवलोकन कर दस्तावेज प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बारापाल को निर्देशित किया जाता है कि

जिला कलक्टर
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपीलार्थी को सूचना से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करा यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने से रह गया है, तो सूचना उपलब्ध कराये।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर